//१//

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– अंशुल आमेरिया (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 07 / 2022

उनवान

1. सूरज,
2. गोपी पि0 छोगा,
3. धर्म सिंह पुत्र धन्ना,
4. साधू पुत्र धन्ना,
5. घीसा पुत्र मादू,
6. गोरधन पुत्र देवा,
7. बुद्धा पुत्र देवा,
8. सुवा पुत्र मादू,
9. शेरसिंह पुत्र उगमा,
10. हरचन्द पुत्र उगमा,
11. छोटू पुत्र दल्ला,
12. शक्ति पुत्र बीरम,
13. हरिओम पुत्र नारायण,
14. सोहन पुत्र रूपा,
15. अमर सिंह पुत्र धन्ना,
16. पांचू पुत्र घीसा,
17. अमर सिंह पुत्र देवी सिंह
18. शैतान सिंह पुत्र मंगला,
19. विकास पुत्र शंकर सिंह,
20. भवानी सिंह पुत्र धर्म सिंह समस्त जाति रावत नि0 भवानीखेडा, नसीराबाद

——— प्रार्थी :– जरियें अधिवक्ता श्री रमेश रावत

बनाम

1. प्रेम सिंह,
2. हीरालाल,
3. मोहन सिंह पुत्र छीतर जाति रावत नि0 भवानीखेडा, नसीराबाद,
4. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :– 1 से 3 जरियें अधिवक्ता श्री मसूद परवेज
4 जरियें राज0 पैरोकार

—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.30 14:20:21 IST
Reason: SelfAttested

हस्ताक्षर
निल्पन कुनिल्या

नायब तहसीलदार
नसीराबाद

//2//

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान, काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनांक :- 10/8/23

—: आदेश :—

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम व पटवार मण्डल भवानीखेडा, तहसील नसीराबाद के हाल खसरा नम्बर 2214, 2216, 2217, 2219, 2223, 2227, 2269, 2271, 2272, 2279, 2284, 2286, 2287, 2290, 2291, 2292, 2280, 2221, 2308, 2225, 2226 की आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी की है। उक्त आराजी राजस्व अभिलेख में प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थीगण का सामूहिक कुआ खसरा नम्बर 2268 पर आने जाने के लिये पूर्वजों के समय से खसरा नम्बर 3778/2293, 3777/2293 व 2293 का उपयोग- उपभोग आपसी सहमती से कर रहे है। इस मार्ग के अतिरिक्त प्रार्थीगण के पास अन्य कोई मार्ग उपलब्ध नही है। अतः प्रार्थी को खसरा नम्बर 3778/2293, 3777/2293 व 2293 में से 20 फिट चौडा मार्ग उपलब्ध कराया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने जवाब/बहस पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने जोर जबरदस्ती से खसरा नम्बर 3777/2293 में से रास्ता ले रखा है। व अपने कब्जे में कर रखा है। प्रार्थीगण के पास अपने कुओ व खेतों में जाने के लिये पर्याप्त रास्ता है। हजस पर प्रार्थीगण को रास्ते की मांग करनी चाहिये उक्त खातेदार को वाद में पक्षकार नही मनाया है। अप्रार्थीगण गरीब निर्बल है जिस कारण प्रार्थीगण ने झूठा मुकदमा किया है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खरिज किया जावे।

तहसीलदार नसीराबाद से रिपोर्ट तलब की गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों पर मनन किया गया। ग्राम व पटवार मण्डल भवानीखेडा, तहसील नसीराबाद के हाल खसरा नम्बर 2214, 2216, 2217, 2219, 2223, 2227, 2269, 2271, 2272, 2279, 2284, 2286, 2287, 2290, 2291, 2292, 2280, 2221, 2308, 2225, 2226 की आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी की है। की आराजी प्रार्थी की खातेदारी की है। खसरा नम्बर 3777/2293 रकबा 0.17 अप्रार्थी संख्या 2, खसरा नम्बर 2293 रकबा 0.15 अप्रार्थी संख्या 3 व खसरा नम्बर 3778/2293 रकबा 0.15 अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी में है। तहसीलदार व भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट अनुसार आराजी भुतनाजा पर आवागमन हेतु खसरा नम्बर 3778/2293 रकबा 0.15 में एकमात्र प्रस्तावित मार्ग है। प्रार्थीगण ने आवागमन हेतु 20 फिट चौडा मार्ग चाहा है। मौके अनुसार खसरा नम्बर 3778/2293 की चौडाई कम है। अतः उक्त खसरा नम्बर में से 16 फिट चौडा (68 गुणा 5 मीटर) मार्ग नजरी नक्शे अनुसार प्रस्तावित किया गया है। रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को मार्ग की आत्यतिंक आवश्यकता है। प्रस्तावित मार्ग एकमात्र मार्ग है। अप्रार्थीगण उक्त मौका रिपोर्ट से असंतुष्ट होने के कारण न्यायालय द्वारा दिनांक 06.09.22 को मौके निरीक्षण किया गया। मौका निरीक्षण के अनुसार प्रार्थी ने अवगत कराया कि उन्हें खसरा नम्बर 2292 में जाने के लिये खसरा नम्बर 2293 में से लघुतम रास्ता चाहिये। खसरा नम्बर 2293 के तीन बट्टा नम्बर 3778/2293, 3777/2293 व 2293 है। खसरा नम्बर 3777/2293 में मौके पर दुकाने बनी हुयी है। जिसमें खसरा नम्बर 2294 की तरफ लगभग 10 फिट रास्ता छोडा हुआ है। उक्त रास्ता खसरा नम्बर 2294 में ही लगभग 60 फिट लम्बा है। इसके बाद मौके पर तार लगा कर बंद किया हुआ है। अप्रार्थीगण ने बताया कि मौके के

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.30 14:20:21 IST
Reason: SelfAttested

रास्ते को काम में लिया जावे। उक्त मार्ग को आगे दिया जाता है तो अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नही है। उक्त मार्ग को आगे दिया जाता है तो उन्हे कोई प्रतिफल राशि नही चाहिये। खसरा नम्बर 2294 के काश्तकार ने बताया कि मौके पर स्थित मार्ग खसरा नम्बर 3777/2293 में होने पर उन्हे कोई आपत्ति नही है। किन्तु मार्ग हमारे खसरा नम्बर में से नही जाना चाहिये। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने दौराने बहस नजरी नक्शा व मौके की फोटो भी पेश कि।

उक्तानुसार स्पष्ट है कि मौके पर स्थित मार्ग की चौडाई मात्र 10 फिट है। उक्त मार्ग खसरा नम्बर 2294 व 3777/2293 की मेड से लगता हुआ है जो मौके पर लगभग 60 फिट बाद बंद है। प्रार्थीगण को उक्त मार्ग दिया जाता है तो उसके लिये प्रकरण में खसरा नम्बर 2294 के खातेदार को भी पक्षकार बनाना पडेगा साथ ही उक्त मार्ग मात्र 10 फिट चौडा है तथा मार्ग में मोड भी है जिस कारण उक्त सकडे मार्ग से प्रार्थीगण के आवागमन की सुविधा पूर्ण नही होती है। उक्त मार्ग मौके पर 60 फिट तक ही उपलब्ध है आगे बंद है तथा मार्ग राजस्व अभिलेख में अंकित नही है। उक्त मर्ग प्रार्थीगण के खेतों तक नही जाता है। अप्रार्थीगण स्वयं भी प्रकरण विचारण के दौरान खसरा नम्बर 2294 के खातेदार को पक्षकार बना सकते थे। प्रकरण में उपलब्ध नजरी नक्शा अनुसार खसरा नम्बर 3778/2293 में से मार्ग उपलब्ध कराने पर मार्ग आगे मौके पर बने हुये आम रास्ते से मिलता है। खसरा नम्बर 3778/2293 में से मात्र 16 फिट चौडा रास्ता ही प्रस्तावित किया गया है।

उक्तानुसार प्रार्थीगण के पास आवागमन हेतु कोई मार्ग राजस्व अभिलेख में उपलब्ध नही है। मौके पर स्थित मार्ग भी प्रार्थीगण के खेत तक नही जाता है एवं उसकी चौडाई भी मात्र 10 फिट है। प्रार्थीगण को मार्ग की आत्यंतिक आवश्यकता सिद्व होती है। धारा 251 ए में अधिकतम 30 फिट चौडा रास्ता दिये जाने का प्रावधान है। खसरा नम्बर 3778/2293 की चौडाई कम होने के कारण प्रार्थीगण को 16 फिट चौडा रास्ता दिया जाना उचित है।

उक्तानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र "स्वीकार" किया जाता है। प्रार्थी को ग्राम भवानीखेडा के खसरा नम्बर 3778/2293 में से 5 मीटर चौडा 68 मीटर लम्बा कुल रकबा 0.034 है0 भूमि रास्ता दिये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार उक्त रकबे की मुआवजा डी.एल.सी. दर की दो गुना राशि 90391/ अक्षरे नव्बे हजार तीन सौ इकरानवे रूपये प्रार्थीगण से प्राप्त कर खातेदार को भुगतान कर उक्त रास्ते को राजस्व अभिलेख में सिवायचक गै0मु0 रास्ता के रूप में दर्ज करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश खरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.30 14:20:21 IST
Reason: SelfAttested